न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 51/2024

दायर दिनांक 26.02.2024

निर्णय दिनांक 16.04.2024

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र मानसिंहका आयु निवासी---10--29 आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.) वयस्क,
2. सुनील कुमार पुत्र श्री रमेशचन्द्र मानसिंहका, आयु वयस्क, निवासी–6–ई–18–ई–29, आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनीता मानसिंहका पत्नी श्री राजेन्द्र मानसिंहका, आयु वयस्क, निवासी–क–ई–18–ई–29 आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (राज.)
2. सीमा मानसिंहका पत्नी सुनील कुमार मानसिंहका, आयु वयस्क, निवासी–8–ई–18–ई–29, आर.सी. व्यास कोलोनी, भीलवाडा (राज.)
3. उषा पत्नी श्री महेश कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
4. गायत्री पुत्री श्री महेश कुमार सुवालका, आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
5. प्रतिभा पुत्री श्री महेश कुमार सुवालका आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
6. पूनम पत्नी श्री गौरव कुमार सुवालका आयु वयस्क, निवासी–नवकान ग्रीन्स, पार्श्वनाथ सोसायटी, भीलवाड़ा (राज.)
7. भुवनेश पुत्र श्री महेश कुमार सुवालका आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज.)
8. हर्षवर्धन पुत्र श्री महेश कुमार सुवालका आयु वयस्क, निवासी–खेराडीवाला, तहसील व जिला–भीलवाड़ा (राज.)
9. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा (राज.)
10. रेलवे विभाग जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, भीलवाडा

–विपक्षीगण

उपस्थित:–अधिवक्ता प्रार्थी दीपक मित्तल

अप्रार्थी उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: **निर्णय** :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गठीला खेड़ा प0ह0 गठिलाखेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

वत 2070—2073 के खाता संख्या 370 की अभिलिखित आराजियात 1308/518 कुल किता 01 ल रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण र-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा न्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर भिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी र्गत भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस लब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 व 07 एवं 08 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 06 अपने जवाब के मजिद कथन में प्रार्थी की आराजी नं0 1308/518 के पड़ोस विपक्षी के आराजी म्बर 518/1के नहीं होना अंकीत किया है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा फोटो प्रति में आराजी म्बर 1308/518 के पड़ोसी आराजी नम्बर 518/1 दर्ज है। विपक्षी संख्या 06 की आपती श्वसनीय नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही क्ये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का वलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का वलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के ातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने ा अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार ने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 ज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा ठीला खेड़ा प0ह0 गठिलाखेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की माबन्दी संवत 2070—2073 के खाता संख्या 370 की अभिलिखित आराजियात 1308/518 कुल केता 01 कुल रकबा 0.0506 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को ूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से । इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी ्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती ी जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 क्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड वेधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से श करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा